निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक 1948 (श0)

(सं0 पटना 1340) पटना, शुक्रवार, 30 अक्तूबर 2026

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

30 अक्तूबर 2026

अधिसूचना संख्या– 07/2026–राज्य कर (दर)

एस० ओ० 231, दिनांक 30 अक्तूबर 2026— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम– 12, 2017) की धारा 9 की उप धारा (3) और (4), धारा 11 की उप–धारा (1), धारा 15 की उप–धारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है,, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या–12/2017–राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 555, दिनांक 29 जून, 2017, द्वारा **प्रकाशित** किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्::–

उक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी में -

(i) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (क) के पश्चात, निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(कक) सीट-शेयर आधार पर हेलीकॉप्टर द्वारा वायुमार्ग से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा

राज्य अथवा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित बागडोगरा में अवस्थित विमानपत्तन (हेलीपैड सहित) से उड़ान भरने वाले या वहाँ पर उतरने वाले";

(ii) क्रम संख्या 18 के समक्ष, कॉलम (3) में, स्पष्टीकरण को हटा दिया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 21क के समक्ष, कॉलम (3) में, खंड (च) के बाद, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"*स्पष्टीकरण.*- इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात माल परिवहन एजेंसी के द्वारा ऐसे माल के बारे में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी, जिस माल की आपूर्ति इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से की जाती है";

(iv) क्रम संख्या 24ख के स्थान पर, कॉलम (3) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"अनाज, दालों, फलों, सब्जियों और बुवाई के लिए बीजों के भंडारण या भाण्डागारण संबंधी सेवाएँ। ";

(v) क्रम संख्या 31क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31कक	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) द्वारा शासित व्यक्तियों को नाविक भविष्य निधि संगठन द्वारा सेवाएं।	शून्य	शून्य ";

(vi) क्रम संख्या 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"42 क	शीर्षक 9973	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी निकाय द्वारा विशेष मार्गाधिकार या पहुंच, लाइसेंस तथा पथकर की मांग करने, उसे एकत्र करने और विनियोजित करने के प्राधिकार प्रदान करने के रूप में सेवाएं।	शून्य	शून्य";

(vii) क्रम संख्या 54 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और उससे संबंधित प्रविष्टियों को अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"54 क	शीर्षक 9986	कॉफी की खेती करने वालों को प्रदान की जाने वाली कॉफी के संसाधन संबंधी सेवाएँ। *स्पष्टीकरण* - इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, "संसाधन" का वही अर्थ होगा जो इसके लिए कॉफी अधिनियम, 1942 (1942 का 7) की धारा 3 के खंड (घ) में दिया गया है।	शून्य	शून्य";

(ख) पैराग्राफ 2 में,

(i) खंड (यङ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

'(यङ) "माल परिवहन एजेंसी" से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो।';

(ii) खंड (ययग) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: –

'(ययगक) "बीज" से अभिप्रेत ऐसी कोई पादप सामग्री है, जिसका उपयोग प्रवर्धन के लिए किया जाता है या बुआई के लिए किया जाना है, और जिसमें नवांकुर, कंद, बल्ब, प्रकंद, जड़ें, कलम, सभी प्रकार के ग्राफ्ट, टिश्यू कल्चर से तैयार छोटे पौधे और वानस्पतिक रूप से प्रवर्धित अन्य सामग्री शामिल है। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) अनाज, मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, रेशा वाली फसलों, चारे वाली फसलों, हरी खाद वाली फसलों और शर्करा वाली फसलों के बीज;

(ii) फलों, सब्जियों, मसालों, फूलों वाली फसलों, सजावटी फसलों और बागान फसलों के बीज; और

(iii) रोपण सामग्री।'

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[(सं०सं०– बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–22) 07)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

30 अक्तूबर 2026

एस० ओ० 231, दिनांक 30 अक्तूबर 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०– बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017 (खंड–22) 07)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 30th October 2026

Notification No 07/2026- State Tax (Rate)

S.O. 231, Dated 30th October 2026— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017, (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Commercial Tax Department notification No. 12/2017- State Tax (Rate) dated 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette Extraordinary, vide No. 555 dated 29.06.2017, namely:—

In the said notification,

(a) in the Table -

(i) against serial number 15, in column (3), after item (a), the following item shall be inserted, namely: -

"(aa) air, in a helicopter on seat share basis, embarking from or terminating in an airport including a helipad located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura or at Bagdogra located in West Bengal";

(ii) against serial number 18, in column (3), the explanation shall be omitted;

(iii) against serial number 21A, in column (3), after clause (f), the following explanation shall be inserted, namely: -

"*Explanation.* - Nothing contained in this entry shall apply to services provided by a goods transport agency in relation to goods, where such goods are supplied through an electronic commerce operator.";

(iv) against serial number 24B, in column (3), the following shall be substituted, namely: -

"Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits, vegetables, and seeds meant for sowing";

(v) after serial number 31A and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31AA	Heading 9971 or Heading 9991	Services by Seamen's Provident Fund Organisation to persons governed by the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966).	Nil	Nil";

(vi) after serial number 42 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"42A	Heading 9973	Services by way of grant of exclusive right of way or access, license and authority to demand, collect and appropriate toll fee by the Central Government, State Government, Union Territory, Local Authority, Governmental Authority or Government Entity.	Nil	Nil";

(vii) after serial number 54 and the entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"54A	Heading 9986	Services by way of curing of coffee supplied to coffee cultivators. Explanation - For the purposes of this entry, "curing" shall have the same meaning as assigned to it in clause (d) of section 3 of the Coffee Act, 1942 (7 of 1942).	Nil	Nil";

(b) in paragraph 2,

(i) for clause (ze), the following clause shall be substituted: -

'(ze) "goods transport agency" means any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues a consignment note by whatever name called.'

(ii) after clause (zzc), the following clause shall be inserted, namely: -

'(zzca) "seed" means any plant material, including seedlings, tubers, bulbs, rhizomes, roots, cuttings, all types of grafts, tissue culture plantlets, and other vegetatively propagated material, used or intended for use in propagation or sowing, and includes –

(i) seeds of cereals, coarse cereals, pulses, oilseeds, fibre crops, forage and fodder crops, green manures, sugar crops;

(ii) seeds of fruits, vegetables, spices, flower crops, ornamental crops and plantation crops; and

(iii) planting material.'.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[(FileNoBikrikar/GST/vividh-21/2017(Part-22)07)]
By the order of Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR SINGH,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1340-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in